न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

गंगा मिस्त्री बनाम् **प्रताप यादव**

विविध वाद संख्या –48/2024

U/S – 144 Cr.P.C.

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

गंगा मिस्त्री, पिता – स्व0 – जोधो मिस्त्री,
साकिन – जरमुने, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

प्रताप यादव, पिता – रामचन्द्र यादव,
साकिन– बगोदर (यादव मार्केट), थाना – बगोदर, जिला– गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं अंचल अधिकारी, बगोदर के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहदी
जरमुने	52	2337	1.42 ए0 मधे 8.25 डी0	उ0– जुजो प्लॉट नं0 2337, द0– जुजो प्लॉट नं0 2337, पु0– जुजो प्लॉट नं0 2337, प0– जुजो प्लॉट नं0 2337।

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 19.03.2024 तथा दिनांक 08.06.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित आवेदन – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**
2. गेंदवा बढ़ई के नाम से आफलाईन खतियान की छायाप्रति, कुल – 03 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**
3. गेंदवा बढ़ई के नाम से ऑफलाईन लगान रसीद की छायाप्रति, कुल – 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**
4. दाखिल खारिज वाद संख्या – 560/2012–13 की छायाप्रति, कुल – 04 पृष्ठ, **प्रदर्श A-4**
5. दाखिल खारिज अपील संख्या – 01/2016–17 की छायाप्रति, कुल – 08 पृष्ठ, **प्रदर्श A-5**
6. दाखिल खारिज रिविजन वाद संख्या– 7/2017 की छायाप्रति, कुल – 04 पृष्ठ, **प्रदर्श A-6**

08.06.2024
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

7. डोमन बढ़ई के नाम से वर्ष 1934 का अनिबंधित दस्तावेज की छायाप्रति, कुल 02 पृष्ठ, **प्रदर्श A-7**
8. बाबुलाल मिस्त्री के द्वारा पावर संख्या – 646, दिनांक – 24.06.2015 की छायाप्रति, कुल 09 पृष्ठ, **प्रदर्श A-8**
9. गंगा मिस्त्री के आधार कार्ड की छायाप्रति, कुल – 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-9**

द्वितीय पक्ष

द्वितीय पक्ष के द्वारा, दिनांक– 08.06.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कारण–पृच्छा सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है।

1. लिखित कारण–पृच्छा – कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श B-1**
2. केवाला दस्तावेज संख्या – 514, दिनांक – 21.01.2014 की छायाप्रति – कुल 08 पृष्ठ, **प्रदर्श B-2**
3. समान्य अधिकार दस्तावेज संख्या – 804, दिनांक – 19.11.2013 की छायाप्रति – कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श B-3**
4. प्रताप कुमार यादव के नाम से ऑफलाईन लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-4**
5. प्रताप कुमार यादव के नाम से ऑनलाईन पंजी II की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-5**

अंचल बगोदर का प्रतिवेदन –

अंचल अधिकारी, बगोदर का पत्रांक – 314, दिनांक – 06.04.2024 कुल – 02 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ, रा0 उप नि0 एवं प्र0 अं0 नि0 का प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ) – प्रदर्श C-1

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण –पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं अंचल के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
जरमुन्ने	52	2337	1.42 ए0 मधे 8.25 डी0	उ0– जुजो प्लॉट नं0 2337, द0– जुजो प्लॉट नं0 2337, पु0– जुजो प्लॉट नं0 2337, प0– जुजो प्लॉट नं0 2337।

2. विवादित भूमि खतियान के अनुसार, खाता नं0 – 52, गेन्दवा बढ़ई, पिता – रूपदेव बढ़ई के नाम से दर्ज है।

3. **प्रथम पक्ष का कहना है कि** उक्त विवादित भूमि –– खतियानी रैयत के वंशज **श्री सुखदेव राणा, श्री बासुदेव राणा, श्री सोहन राणा तीनों पिता – स्व0 धुजा राणा तथा मसो0 भुनेश्वरी देवी, पति – स्व0 छकन मिस्त्री** से प्रथम पक्ष को बजरिये पावरनामा

08.06.2024
अनुमंडल पदाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

दस्तावेज संख्या 263, दिनांक – 14.09.2016 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। साथ ही प्रथम पक्ष का कहना है कि रैयत (पावार देने वाले रैयत) के पूर्वज के नाम से मालगुजारी रसीद मांग पंजी II, भाग संख्या – 05, पेज नं0 – 114 से निर्गत हो रहा है।

पुनः प्रथम पक्ष का कहना है कि उक्त विवादित जमीन हासिल होने के बाद उसपर दखलकार होकर राजस्व रसीद कटाते चले आ रहे हैं तथा प्रथम पक्ष के द्वारा अपने कथन के समर्थन में गेन्दवा बढ़ई के नाम पर खाता नं. – 52 के खतियान की छायाप्रति तथा गेन्दवा बढ़ई के नाम पर वर्ष 2016–17 का एक राजस्व रसीद संलग्न किया गया है।

4. **द्वितीय पक्ष का कहना है कि** उक्त विवादित जमीन (खाता नं0 – 52, प्लॉट नं0 – 2337, रकबा – 1ए0 40डी0, मधे 8.25 डी0) केवाला दस्तावेज संख्या – 514, दिनांक – 21.01.2014 के माध्यम से –– राजेश मंडल से –– प्रताप यादव को प्राप्त हुआ है। ततपश्चात, अंचल कार्यालय, बगोदर से दाखिल खारिज केश नं0 – 115/2015–16 के माध्यम से दाखिल खारिज होकर पंजी II के भाग संख्या – 32, पेज नं0 – 29 पर रैयत प्रताप कुमार यादव के नाम पर दर्ज होकर लगान रसीद निर्गत हो रहा है।

द्वितीय पक्ष का यह भी कहना है कि प्रथम पक्ष समान्य अधिकार दस्तावेज संख्या – 263, दिनांक – 14.09.2016 से उक्त विवादित जमीन पर दावा कर रहे हैं। जबकि द्वितीय पक्ष इसके पूर्व ही केवाला दस्तावेज संख्या – 514, दिनांक – 21.01. 2014 के माध्यम से उक्त जमीन को प्राप्त कर चुके हैं।

5. उभय पक्ष के संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सर्वप्रथम उक्त विवादित जमीन खाता नं0 – 52, प्लॉट नं0 – 2337, रकबा – 1.40 एकड़, वर्ष 1934 के एक अनिबंधित केवाला के माध्यम से डोमन बढ़ई को प्राप्त हुआ।

इस अनिबंधित दस्तावेज के आधार पर ––– लगभग 78 वर्ष के बाद, वित्तीय वर्ष 2012–13 में, दाखिल खारिज वाद संख्या – 560/12–13 के माध्यम से, डोमन बढ़ई के नाम से जमाबंदी कायम कर दिया गया।

ततपश्चात गंगा मिस्त्री के द्वारा, वित्तीय वर्ष 2016–17 में, ***भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बगोदर – सरिया के न्यायालय में*** *उक्त दाखिल – खारिज के विरूद्ध अपील दायर किया गया तथा डोमन बढ़ई के नाम से की गई दाखिल खारिज को रद्द करने की मांग की गई,* ***परन्तु प्रशनगत न्यायालय के द्वारा इस अपील को अस्वीकृत कर दिया गया।***
ततपश्चात् उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह के न्यायालय में दाखिल खारिज रिविजन वाद संख्या – 07/2017 दायर किया गया, *जिसमें माननीय उपायुक्त के द्वारा अंचल अधिकारी, बगोदर तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बगोदर – सरिया, दोनों के आदेश को निरस्त कर दिया गया एवं तदनुसार अंचल अधिकारी, बगोदर को अग्रेतर कार्यवाई करने का आदेश दिया गया।* ***(अर्थात उक्त विवादित जमीन को डोमन बढ़ई से मूल रैयत की जमाबंदी पर वापस करने का आदेश दिया गया)***

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय उपायुक्त, गिरिडीह ने डोमन बढ़ई के नाम पर की गई दाखिल खारिज एवं जमाबंदी को सही नहीं माना।

08.06.2021

डोमन बढ़ई /उनके वंशज से अग्रेतर भूमि हस्तांरित होते हुए —— राजेश मंडल के माध्यम से —— इस न्यायालय में चल रहे इस वाद के द्वितीय पक्ष, प्रताप कुमार यादव को विवादित भूमि रकबा 8.25 डी0 प्राप्त हुआ है।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि का कई बार हस्तांतरण हो चुका है, तथा राजस्व दस्तावेज बनाये जा चुके है, जिसका निराकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

अतः उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

इसके साथ ही वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

08.06.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

08.06.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.07.06 15:45:51 +05:30
Location: 192.168.54.238